न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 7, 15, 34, 47, 48, 49 एवं 60 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस दिनांक 28.6.2023 को सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 13.4.2023 को एक वाद पत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उप जिला कलक्टर बांदीकुई में प्रस्तुत किया। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 10.5.2023 प्रतिवादीगण की तलवी में नियत थी। उक्त प्रकरण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में न्यायालय ने मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने के आदेश जारी किये गये थे। प्रतिवादी संख्या 1 रेवडराम पुत्र श्रवणराम ने उक्त प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत किया। प्रकरण में गत तारीख 10.5.2023 नियत थी और अब पीठासीन अधिकारी के राजस्व कैम्प में जाने के कारण आगामी तारीख पेशी की सूचना न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। प्रार्थी को भी दिनांक 10.5.2023 से उक्त प्रकरण की आगामी तारीख पेशी का कोई पता नहीं है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मानसिंह बैरवा के नाम से तलवी के आदेश जारी करवाकर नियत तारीख से पूर्व ही सुनवाई का प्रयास किया जा रहा था। अब बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रकरण में सुनवाई की जा रही है। जबकि प्रकरण में शीघ्र सुनवाई बाबत् प्रार्थी या प्रार्थी के अधिवक्ता को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये की जा रही कार्यवाही से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रतिवादी रेवडराम राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। जिसने उप जिला कलक्टर बांदीकुई को अपनी राजनैतिक पहुंच के कारण दबाव में ले रखा है एवं अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 13.4.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद भी न्यायालय के आदेशो की अवहेलना कर अपने राजनैतिक प्रभाव से मौके पर विवादित भूमि पर पुख्ता निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया था। जिसकी शिकायत प्रार्थी ने पुलिस थाना बांदीकुई में की तब पुलिस थाना बांदीकुई ने मौके पर जाकर न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना करवाई व अवैध तौर पर किये जा रहे निर्माण कार्य को बन्द करवाया। जिसके बाद अप्रार्थीगण अपने राजनैतिक प्रभाव से न्याय को प्रभावित कर स्थगन आदेश को तुडवाने पर आमादा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को उप जिला कलक्टर बांदीकुई के चैम्बर में आते–जाते व बैठते हुये व बातचीत करते हुये देखा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं होने से पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना अप्रार्थीगण को सुना जाकर एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित करवा लिये गये। जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में पेश किया गया था। जिस पर प्रकरण में शीघ्रु सुनवाई हेतु दिनांक 1.5.2023 नियत की गई। उसके उपरान्त प्रकरण को पूर्व नियत पेशी तारीख 10.5.2023 में रखा गया तथा उसके पश्चात 26.5.2023 एवं 31.5.2023 आगामी तारीख पेशी नियत की गई। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी एवं प्रार्थी पर लगाये गये आरोप मनगढन्त है तथा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 पीडित पक्षकार है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु पत्रावली यदि अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित की अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 7, 15, 34, 47, 48, 49 एवं 60 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में 81 अप्रार्थीगण है जो सभी बांदीकुई एवं आसपास के क्षेत्र के निवासी है। पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर सभी लोगो को तारीख पेशी पर आने–जाने में अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। हमने उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में संलग्न उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 27.4.2023 को प्रतिवादी रेवड द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत करने पर शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 1.5.2023 नियत की गई थी। जिसके पश्चात् 10.5.2023, 26.5.2023, 31.5.2023, 2.6.2023 एवं 26.6.2023 नियत की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 43/2023 वाद पत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 28/2023 उनवानी रामस्वरूप बनाम रेवड वगैरा को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा में स्थानान्तरित किया जाता है। उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 14.07.2023 से पूर्व न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा को भिजवाना सुनिश्चित करे। उभपक्षकारान दिनांक 14.07.2023 को न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा में सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। उप जिला कलक्टर बांदीकुई एवं उप जिला कलक्टर बसवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेश कुमार) अति. जिला कलक्टर ,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official